

मांग संख्या 13
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

जिला एवं अधीनस्थ स्तर के अमले के डिफ़्री धन के भुगतान हेतु राशि ₹11.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मुख्यालय स्तर के अमले का डिफ़्री धन के भुगतान हेतु राशि ₹22.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3, 4, 5 एवं 6

नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयल पॉम एडिबल ऑयल हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹400 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पॉम हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9, 10 एवं 11

नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयल पॉम एडिबल ऑयल हेतु आकस्मिकता निधि से ₹300 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13, 14, 15 एवं 16

सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल हेतु आकस्मिकता निधि से ₹400 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18 एवं 19

सब मिशन ऑन एग्रिकल्चर एक्सटेंशन हेतु आकस्मिकता निधि से ₹200 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पॉम हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5425**मद क्रमांक 21**

छत्तीसगढ़ जैव प्रौद्योगिकी पार्क परियोजना हेतु राशि ₹476.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।